प्रेस विज्ञप्ति

17.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्री कृष्ण दमानी के विरुद्ध दिनांक 11.02.2026 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 223(1) के तहत आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता पुलिस द्वारा मेसर्स साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसायटी की निधियों की हेराफेरी से संबंधित मामले में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह उजागर हुआ कि मानव संसाधन सेवाओं तथा अन्य सेवाओं का लाभ उठाने की आड़ में श्री कृष्ण दमानी ने 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को श्री कृष्ण दमानी एवं उनके परिवारजनों के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन संस्थाओं में विपथित/हस्तांतरित (डायवर्ट) किया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई जांच के दौरान यह उजागर हुआ कि मेसर्स साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसायटी (मेसर्स एसपीईएस) के एक न्यासी के रूप में श्री कृष्ण दमानी ने अन्य सदस्यों को दरकिनार कर न्यासी मंडल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मेसर्स एसपीईएस के प्रशासन पर प्रभुत्व स्थापित करने के उपरांत, श्री कृष्ण दमानी ने अपने न्यासीय पद का दुरुपयोग करते हुए विद्यालय की धनराशि का बड़ा हिस्सा स्वयं तथा अपने परिवारजनों के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन संस्थाओं में विपथित/हस्तांतरित किया, इस प्रकार धर्मार्थ (चैरिटी) निधियों को व्यक्तिगत लाभ एवं उपभोग हेतु परिवर्तित किया गया। जांच में उजागर हुआ कि श्री कृष्ण दमानी ने यह सुनिश्चित किया कि सभी भुगतान के परिप्रेक्ष्य में जाली वाउचर, नकली चालान एवं काल्पनिक कर्मचारियों के अभिलेखों से समर्थित हों, जिनमें अवास्तविक कर्मचारियों तथा उनके व्यक्तिगत कर्मचारियों को सोसायटी/विद्यालय के खातों से वेतन का भुगतान किया जाना शामिल था। आगे, उन्होंने विशिष्ट क्लबों की सदस्यता शुल्क, व्यक्तिगत व्यय तथा लॉकडाउन अवधि के दौरान के बिना किसी वास्तविक सेवा निष्पादन के वेतन भुगतान के लिए विद्यालय की निधियों का दुरुपयोग किया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह उजागर हुआ कि श्री कृष्ण दमानी ने धर्मार्थ (चैरिटी) न्यासों से विपथित निधियों को अपने परिवारजनों को एवं नियंत्रणाधीन संस्थाओं को बढ़े हुए वेतन, निदेशकों के पारिश्रमिक एवं कमीशन आदि तथा उक्त धनराशि को अपने, अपनी पत्नी, माता एवं पुत्रियों के नाम तथा अपनी कंपनियों के नाम पर म्यूचुअल फंड एवं अन्य निवेशों में निवेशित करते हुए अपराध की आय के परतन (लेयरिंग) एवं समेकीकरण (इन्टीग्रेशन) की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया।

आगे की जांच जारी है।